



उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

(सरकार की स्वामिताधीन अनुसूचित बैंक)

प्रधान कार्यालय: द्वितीय एवं तृतीय तल, एनबीसीसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स,
वरदान खंड, गोमती नगर एक्सटेंशन, लखनऊ-226010,
Website: www.upgbank.com

क्षेत्रीय कार्यालय मुरादाबाद

E-mail- rombd@prathamaupbank.com
Ph. 7217088021, 7217038480

सार्वजनिक नीलामी द्वारा सम्पत्तियों की बिक्री हेतु सूचना

(वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुर्नगठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियमानुसार) (नियम 8 (6) के तहत)

यद्यपि अधिकृत अधिकारी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) एवं सहपठित नियमों के अंतर्गत ऋणी एवं सनुबन्धियों को उनके सम्मुख अंकित तिथियों को नोटिस जारी कर उनसे 60 दिनों के अंदर मांग सूचना पत्र में वर्णित धनराशि अदा करने की मांग की थी। ऋणी/सहअनुबन्धि द्वारा उपरोक्त समय अवधि में उक्त धनराशि जमा नहीं करने के कारण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) एवं सहपठित नियम (8) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न वर्णित खातों में उनके सम्मुख अंकित तिथियों में बंधक सम्पत्तियों का कब्जा प्राप्त कर लिया गया। इस पर बंधककर्ता द्वारा उक्त धनराशि जमा नहीं करने के कारण बैंक में बंधक अचल सम्पत्ति को नीचे दिये गये विवरण के अनुसार नीलामी द्वारा विक्रय किया जाएगा। अतः इच्छुक व्यक्ति नीलामी में सम्मिलित होने हेतु आमन्त्रित है।

क्र. सं.	ऋणी/सहअनुबंधियों का विवरण / शाखा	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तिथि एवं देय राशि/ कब्जे की तिथि व स्थिति	न्यूनतम आरक्षित मूल्य/ धरोहर राशि एवं जमा करने की अंतिम तिथि	बोली सुधार धनराशि रु. 5000/- नीलामी की तिथि व समय नीलामी का स्थान
1	ऋणी — मैसर्स जुनैद ट्रेडर्स (मालिक श्री मोहम्मद गुलजार पुत्र श्री मोहम्मद सदीक) निवासी गली नंबर 1 निकट संकल्प स्कूल, रहमत नगर, मुरादाबाद यू.पी. —244001, खाता नंबर 84231B44052344 (बंधककर्ता/गारंटर) श्रीमती शकीला पत्नी श्री मोहम्मद सदीक, निवासी गली नंबर 1, संकल्प स्कूल के पास, रहमत नगर, मुरादाबाद यू.पी. —244001 (बंधककर्ता/गारंटर) श्रीमती शहनाज पत्नी श्री मोहम्मद गुलजार पुत्री स्वर्गीय श्री मुस्तफा हुसैन, निवासी गली नंबर 4, गुलाम रसूल के पास, रहमत नगर, मुरादाबाद यू.पी.—244001, (गारंटर) श्री शौकीन पुत्र श्री भीका निवासी ग्राम सिरसा इनायतपुर, पोस्ट देवापुर, जिला मुरादाबाद उ.प्र. —244001 शाखा: खडगपुर बाजे Ph. 7217028423	संपत्ति 1 एक भूमि जिस पर वर्तमान में निर्माण कार्य चल रहा है, गाटा संख्या 357, गांव सिरसा इनायतपुर, नया गांव, पोस्ट-देवपुर, तहसील और जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल = 140.00 वर्ग मीटर, जो कि बही संख्या 1, खंड संख्या- 13478 पर पृष्ठ 249 से 262 पर क्रमांक- 6924 पर दिनांक 23.06.2017 में उप-निबंधक कार्यालय सदर- I, मुरादाबाद में श्रीमती शहनाज पत्नी श्री मोहम्मद गुलजार के नाम पर पंजीकृत है, चौहद्दी: पूर्व — शुभ्राति की संपत्ति, पश्चिम — अन्य व्यक्ति की संपत्ति, उत्तर — शाकिर हुसैन की संपत्ति, दक्षिण: रास्ता 12 फीट चौड़ा संपत्ति 2 एक प्लॉट वर्तमान में एक आवासीय घर है जो ग्राम भदौरा, बाहरी चुंगी, रहमत नगर, खसरा संख्या 504 तहसील और जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है, क्षेत्रफल = 70.00 वर्ग मीटर, जो कि बही संख्या 1, खंड संख्या- 5513 के पृष्ठ 109 से 128 पर क्रमांक- 224 पर दिनांक 08.01.2007 में उप-निबंधक कार्यालय सदर- I, मुरादाबाद में श्रीमती शकीला पत्नी श्री मोहम्मद सदीक के नाम पर,पंजीकृत है, चौहद्दी: पूर्व रास्ता 4 फीट चौड़ा, पश्चिम: रास्ता 8 फीट चौड़ा, उत्तर: प्लॉट भूरी, दक्षिण: रास्ता 4 फीट चौड़ा	15.07.2023 रु. 12,67,917.84 दिनांक 15.07.2023 तक + ब्याज + अन्य खर्चें 11.03.2024 सांकेतिक कब्जा	रु. 23,44,000.00 रु. 2,34,400.00 दिनांक 14.10.2025 नीलामी से पूर्व Rs. 11,00,000.00 Rs. 1,10,000.00 दिनांक 14.10.2025 नीलामी से पूर्व	दिनांक 14.10.2025, दिन मंगलवार दोपहर 3:00 बजे, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा खडगपुर बाजे मुरादाबाद
2	ऋणी/बंधककर्ता: श्री मोहम्मद गुलजार पुत्र मो. सदीक, निवासी गली नंबर 04, गुलाम रसूल के पास, रहमत नगर, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, खाता संख्या 84231B41521468, (गारंटर) श्री सीताराम पुत्र श्री बिहारी, निवासी ग्राम सिरसा इनायतपुर, पोस्ट देवापुर, तहसील एवं जिला-मुरादाबाद, (गारंटर) श्री हनीफ अहमद पुत्र हमीद, निवासी ग्राम एवं पोस्ट-मछरिया, तहसील एवं जिला-मुरादाबाद शाखा: खडगपुर बाजे Ph. 7217028423	संपत्ति खसरा संख्या 352, गांव सिरसा इनायतपुर, पोस्ट देवापुर, तहसील और जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्षेत्रफल = 309.14 वर्ग मीटर, जो कि बही संख्या 1, खंड संख्या- 12474, पृष्ठ 65 से 90 पर क्रमांक- 4242 पर दिनांक 10.03.2016 में उप-निबंधक कार्यालय सदर- I, मुरादाबाद में श्री गुलजार पुत्र मो. सदीक, के नाम पर,पंजीकृत है, चौहद्दी: पूर्व — 10 फीट चौड़ा मार्ग, पश्चिम — अन्य की संपत्ति, उत्तर में- लियाकत अली का प्लॉट, दक्षिण में- कमर जहां का प्लॉट।	10.07.2024 रु. 5,32,976.80 दिनांक 10.07.2024 तक + ब्याज + अन्य खर्चें 15.02.2025 सांकेतिक कब्जा	रु. 22,33,000.00 रु. 2,23,300.00 दिनांक 14.10.2025 नीलामी से पूर्व	दिनांक 14.10.2025, दिन मंगलवार दोपहर 3:00 बजे, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा खडगपुर बाजे मुरादाबाद

सम्पत्ति का पुरा विवरण/अन्य जानकारी संबंधित शाखा के पास से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है। नीलामी की नियम एवं शर्तें:- 1. नीलामी के समय, बोलीदाता को ईएमडी के लिए ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर/आरटीजीएस/एनईएफटी/ नकद जमा के माध्यम से आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत जमा करना होगा, जो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के पक्ष में देय हो, बोली से पूर्व जमा करना होगा। 2. बोलीदाता को अपना परिचय पत्र/आधार कार्ड/ पैन कार्ड साथ लाना होगा। 3. जैसे ही सफल बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाती है उसे उसी दिन नीलामी बोली का 25% (धरोहर राशि समायोजित करते हुए) जमा करना होगा तथा शेष रकम 15 दिनों में अंदर जमा करना होगा अन्यथा पूर्व में जमा की गयी रकम को जब्त कर लिया जाएगा। 4. उपरोक्त सम्पत्तियों को "जो है जहाँ है, जो है जैसा है एवं जो कुछ भी है" के आधार पर विक्रय किया जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 5. असफल बोलीदाताओं का ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर/आरटीजीएस/एनईएफटी/ नकद सम्पत्ति की नीलामी के बाद उसी दिन बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जाएगा। 6. हस्तांतरण से संबंधित व्यय जैसे स्टम्प एवं पंजीकरण शुल्कों आदि और अन्य सभी विधायी व्यय सफल बोलीदाताओं द्वारा वहन किए जाएंगे। 7. सम्पत्ति पर सभी सरकारी कर और बाकायें की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। 8. अन्य जानकारी के लिए, किसी भी कार्य दिवस पर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की सम्बन्धित शाखा से सम्पर्क करें। 9. नीलामी आरक्षित मूल्य से शुरू होगी और बोलीदाताओं को पांच हजार (5,000) के गुणांकों में अपनी बोली में सुधार करना होगा। नीलामी समाप्त हो जाने पर सर्वोच्च बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। 10. यद्वा कि नीलामी से पूर्व बैंक को सम्पूर्ण धनराशि एवं देय ब्याज अन्य व्यय सहित मुगतान कर देता है तो उपरोक्त खाते में बंधक सम्पत्ति की नीलामी को रद्द कर दिया जाएगा। 11. यह सूचना ऋणी, सहअनुबंधी एवं बंधककर्ताओं को 30 दिनों की सूचना के रूप में पढ़ा जाए।

दिनांक: 12.09.2025, स्थान: मुरादाबाद

प्राधिकृत अधिकारी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक